

भाग - III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2011

संख्या का.आ. 49/के.अ.35/2009/घा. 38/2011.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35), की धारा 38 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) "शैक्षणिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, गुडगांव ;

(ग) "आंगनवाड़ी" से अभिप्राय है, भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र ;

(घ) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ;

(ङ) "उपयुक्त कक्षा के लिए उपयुक्त आयु" से अभिप्राय है, कक्षा में प्रवेश के लिए आयु, जो निम्नलिखित होगी:—

(i) कक्षा एक के लिए: पाँच वर्ष से छह वर्ष ;

(ii) कक्षा दो के लिए: छह वर्ष से सात वर्ष ;

(iii) कक्षा तीन के लिए: सात वर्ष से आठ वर्ष ;

(iv) कक्षा चार के लिए: आठ वर्ष से नौ वर्ष ;

(v) कक्षा पाँच के लिए: नौ वर्ष से दस वर्ष ;

(vi) कक्षा छह के लिए: दस वर्ष से ग्यारह वर्ष ;

(vii) कक्षा सात के लिए: ग्यारह वर्ष से बारह वर्ष ;

(viii) कक्षा आठ के लिए: बारह वर्ष से तेरह वर्ष ;

- (च) "कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद गुप से सम्बन्धित बालक" से अभिप्राय है, निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक से सम्बन्धित बालक ;
- (i) हरियाणा सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से 'गरीबी रेखा से नीचे' की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार का बालक ;
 - (ii) अनाथ ;
 - (iii) एच.आई.वी. प्रभावित बालक ;
 - (iv) विशेष जरूरत वाला बालक ;
 - (v) युद्ध विधवा का बालक ;
- (छ) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;
- (ज) "जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी" से अभिप्राय है, जिले का मौलिक शिक्षा अधिकारी जिसमें मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मिडल विद्यालय स्थित है तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;
- (झ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ञ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य सरकार ;
- (ट) "स्थानीय प्राधिकारी" में शामिल है, अधिनियम में परिभाषित निम्नलिखित निकायों के अतिरिक्त,—
- (i) विद्यालय प्रबन्ध समिति ;
 - (ii) खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अपर उपायुक्त तथा उपायुक्त ;
 - (iii) "मेवात विकास बोर्ड" तथा "शिवालिक विकास बोर्ड" उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में ;
- (ठ) "प्रबन्धन समिति" से अभिप्राय है, किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रबन्धन से न्यस्त व्यष्टि निकाय ;
- (ड) "नगरपालिका" से अभिप्राय है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) में यथा परिभाषित नगर पालिका ;

- (द) "आस-पड़ोस क्षेत्र" से अभिप्राय है, शहरी क्षेत्रों में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) के अधीन ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो ऐसे रूप में घोषित कोई वार्ड ;
- (ण) "आस-पड़ोस विद्यालय" से अभिप्राय है, कोई विद्यालय जो निदेशक के अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी एक या अधिक आस-पड़ोस क्षेत्र से संलग्न है ;
- (त) "छात्र संचित अभिलेख" से अभिप्राय है, 'विस्तृत और सतत् मूल्यांकन' पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख ;
- (थ) "शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण" से अभिप्राय है, नियम 23 के उप नियम (2) के अधीन गठित कोई प्राधिकरण ;
- (द) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा ;
- (ध) "राज्य सलाहकार परिषद" से अभिप्राय, अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (1) के अधीन गठित कोई परिषद ;
- (न) "स्कूल बस्ता" से अभिप्राय है, एक ऐसा बस्ता जिसमें पर्याप्त सभी पठन तथा लेखन सामग्री ले जाई जा सकें ;
- (प) "विद्यालय प्रबन्धन समिति" से अभिप्राय है, धारा 21 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन गठित समिति ;
- (फ) "विद्यालय-मानचित्रण" से अभिप्राय है, सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक दूरी को कम करने के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना ;
- (ब) "पाठ्य-पुस्तक" से अभिप्राय है, पाठ्य-पुस्तक, अनुपूरक-पुस्तक तथा कार्य-पुस्तक या कोई अन्य पढ़ने वाली सामग्री जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;
- (भ) "वर्दी" में शामिल है परिशिष्ट III में यथा विनिर्दिष्ट सभी कपड़े तथा अतिरिक्त वस्तुएं ;
- (म) "लेखन-सामग्री" से सामग्री अभिप्राय है, कापियां, अभ्यास-पुस्तिका, पैन, पेंसिल, रंगों का डिब्बा, रबड़ या कोई अन्य सामग्री, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है ।

विशेष प्रशिक्षण।

3. (1) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन और प्रबन्धनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्:-

- (क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, उपयुक्त आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;
- (ख) प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में दिया जाएगा;
- (ग) प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा ;
- (घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति की आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी;

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

आस-पास
विद्यालय का क्षेत्र
या सीमाएं।
धारा 6

4. (1) आस-पास के क्षेत्र की सीमाएं जिनके भीतर सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित होंगी :-

(क) कक्षा I से V एक किलोमीटर की दूरी के भीतर :

परन्तु पाँच से छह वर्ष की आयु के कम से कम तीस बालक हों ;

(ख) कक्षा VI से VIII तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर :

परन्तु प्राथमिक स्कूल में कम से कम एक सौ पचास तथा कक्षा पाँच में कम से कम तीस बालक हों ;

(2) कठिन भू-भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके।

(3) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पता लगाए गए ऐसे लघु पुरवों के लिए जहां उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आस-पास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के शिथिलीकरण में, निःशुल्क परिवहन तथा अन्य सुविधाएं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा।

(4) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में छह से चौदह आयु समूह वाले बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आस-पास के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण आस-पड़ोस के ऐसे विद्यालयों का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक आवास के लिए निदेशक के अनुमोदन के बाद ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(6) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में जो उन्हें विद्यालय में पहुँचने में बाधा बनती है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(7) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण प्रतिबाधित न हों।

(8) नया विद्यालय खोलने से पूर्व, सरकार वर्तमान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतर सुव्यवस्थीकरण करेगी तथा उनके विलय या समाप्ति से सम्बन्धित सहित उचित निर्णय लेगी जैसा सुव्यवस्थीकरण से प्रकट हों।

(9) प्रत्येक विद्यालय में शिष्य-अध्यापक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार अध्यापकों के सुव्यवस्थीकरण तथा पुनः परिनियोजन का प्रबन्ध करेगी। ऐसा कार्य प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक पूरा किया जाएगा तथा अध्यापकों का परिनियोजन अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों द्वारा शासित होगा।

5. (1) धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अनुसार, धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार, धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक धारा 3 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित निःशुल्क शिक्षा के लिए हकदार होगा:

सरकार तथा
स्थानीय प्राधिकरण
के उत्तरदायित्व।

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को भी निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री भी मुहैया कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण : (1) धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आस-पड़ोस के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए निदेशक के परामर्श से स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय का मानचित्रण तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद गुप से सम्बन्धित बालकों, कमजोर वर्ग से सम्बन्धित बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।

(3) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग सम्बन्धी दुर्व्यवहार, के अध्यधीन नहीं हो।

(4) धारा 8 के खण्ड (ग) और धारा 9 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए, सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कमजोर वर्ग से सम्बन्धित किसी बालक और अलाभप्रद गुप से सम्बन्धित किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाए या उसके साथ भेद-भाव या पक्षपात न किया जाए।

(5) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा प्रथम कक्षा में दाखिले से पहले शिक्षा देने का प्रयास करेगा।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना।

6. (1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से स्थापित प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर घरेलू सर्वेक्षण द्वारा सभी बालकों का उनके जन्म से पाँच वर्ष की आयु तक का अभिलेख रखेगा।

(2) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्थानीय प्राधिकरण की सहायता से अपनी अधिकारिता के भीतर घरेलू सर्वेक्षण द्वारा सभी बालकों का उनकी पाँच वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक का अभिलेख रखेगा।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और धारा 9 के खण्ड (ड) या निदेशक द्वारा यथा विनिश्चित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख प्ररूप III में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सूचना सहित प्रत्येक बालक के सम्बन्ध संहिताबद्ध किया जाएगा।

(6) खण्ड शिक्षा अधिकारी या खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी अधिकारिता के अधीन विद्यालयों में नामांकित सभी बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए हैं।

(7) जन स्वास्थ्य केन्द्र तथा आंगनवाड़ी/पूर्व प्राथमिक विद्यालय के सहयोजन में स्वास्थ्य निरीक्षण करते हुए प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में व्यापक स्वास्थ्य कार्ड रखा जाएगा। अपेक्षित चिकित्सा सहायता तथा प्रबन्धन यथा अपेक्षित बालकों को मुहैया करवाया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड बालक की मौलिक शिक्षा पूरी होने तक वार्षिक अद्यतन किया जाएगा।

कमजोर वर्ग और अलाभप्रद गुप से सम्बन्धित बालकों का प्रवेश।

7. (1) धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिए गए

बालक के साथ विद्यालय में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक सुविधाओं जैसे कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एकीकृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाओं, पाठ्यतर गतिविधियों और खेल कूद के उपयोग से सम्बन्धित किसी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 4 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आस-पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में दिये गए प्रवेशों को लागू होंगी:

परन्तु विद्यालय धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए निदेशक के पूर्व अनुमोदन से इन सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।

(4) धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा, जहां कहीं लागू हो, की कुल सीटों का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद गुप से संबंध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी ;

परन्तु कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद गुप में से अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए पाँच प्रतिशत पिछड़े वर्ग (क) के बालकों के लिए, चार प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ख) के बालकों के लिए अर्द्ध प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएगी :

परन्तु यह और है कि यदि विशेष विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद गुपों से सम्बन्धित बालकों के लिए सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश ड्रॉ आफ लॉटस द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त वर्णित सीटों पर प्रवेश, आस-पड़ोस के क्षेत्र से संबंधित ऐसे विद्यालयों के बालक को ही दिया जाएगा जहां उनके परिवार सामान्यतः निवास कर रहे हैं अन्यथा नहीं। निदेशक आस-पड़ोस में परिवार के निवास की पुष्टि के बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा।

(5) धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा, यदि कोई हो, से कक्षा आठ तक तथा किसी रीति में विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों के समानुपात में सीटें आरक्षित करेगा तथा ऐसे समानुपात में बालकों को प्रविष्ट करेगा तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार उनको मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देगा। ऐसे प्रवेश निम्नलिखित रीति में किए जाएंगे:-

(क) (i) पच्चीस प्रतिशत सीटें कक्षा एक या पूर्व कक्षा, यदि कोई हो, कमजोर तथा अलाभप्रद गुप से सम्बन्धित बालक के लिए आरक्षित होंगी। ऐसी सीटों का वितरण नियम 7 के उपनियम (4) के अनुसार किया जाएगा।

(ii) कक्षा एक से पूर्व कक्षा, यदि कोई हो, में शेष सीटों को कुल आरक्षित सीटों में से उन आस-पड़ोस के क्षेत्रों के निवास करने वाले बालक से भरा जाएगा जिससे ऐसे विद्यालय संलग्न हैं।

(ख) ऐसे प्रवर्ग के विद्यालय इन विद्यालयों द्वारा प्राप्त अनुदान के समानुपात में कक्षा दो से आठ तक सीटें आरक्षित करेंगे।

(6) ऐसे प्रवर्ग के विद्यालय उपरोक्त वर्णित उपबन्ध के अधीन उनमें प्रवेश किए गए सभी ऐसे बालक के मौलिक शिक्षा के स्तर को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार द्वारा प्रति --
बालक व्यय की
प्रतिपूर्ति।

8. (1) सरकार द्वारा अवगत सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में मौलिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति-बालक व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति बालक व्यय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(3) विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में विद्यालय में दाखिल बालकों के नामों की सूची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। ये नाम निदेशक द्वारा यथा अपेक्षित रीति में प्रदर्शित भी किए जाएंगे।

(4) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iv) में वर्णित विद्यालय जिसने विद्यालय की स्थापना तथा संचालन के लिए भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाओं को निशुल्क या रियायती दरों पर प्राप्त किया गया है तथा विद्यालयों के द्वारा यह सुविधाएं लेने के दौरान अपने विद्यालय में बालकों को किसी एक कक्षा या अधिक कक्षाओं में निशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया है, ऐसे विद्यालय उस वचनबद्धता से बंधे रहेंगे। तदानुसार कोई भी प्रतिपूर्ति ऐसे समानुपात में नहीं की जाएगी जिसमें विद्यालय उपरोक्त वर्णित अनुसार वचनबद्धता के अनुसार निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देंगे।

(5) (क) धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (ii) में वर्णित विद्यालयों को नियम 7 के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदानों के समानुपात में प्रवेश देना होगा तथा ऐसे विद्यालयों को खर्च की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ख) धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) तथा (iv) में वर्णित विद्यालयों को जितनी प्रतिशतता में वे कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद गुप के बालकों को प्रवेश देते हैं व्यय की प्रतिपूर्ति में की जाएगी।

(6) (क) सरकार, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, (आयोजना), निदेशक, मौलिक शिक्षा तथा निदेशक

राज्य परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान को मिलाकर समिति का गठन करेगी। समिति इन नियमों की अधिसूचना के बाद तीन मास के भीतर बैठक करेगी तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास में आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति बालक खर्च का निर्धारण करेगी ;

(ख) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अधीन विद्यालय तथा असहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा उपगत खर्च की प्रतिपूर्ति धारा 12 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ग) के अधीन प्रवेश किए गए बालकों को शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो किशतों में विद्यालय द्वारा अनुरक्षित पृथक् बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से इलैक्ट्रॉनिक अन्तरण के माध्यम से की जाएगी। पचास प्रतिशत की प्रथम किशत की सितम्बर मास में प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा शेष की फरवरी मास में प्रतिपूर्ति की जाएगी। द्वितीय किशत जनवरी तक की उपस्थिति का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तथा शिष्य संचयी अभिलेख के अधीन ऐसे बालकों का अवधारण तथा उपस्थिति के सत्यापन के बाद की जाएगी।

9. (1) जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 आयु के साक्ष्य के का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी रूप में दस्तावेज। एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा:—

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख ;

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख ; अथवा

(ग) माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र।

(2) मुख्य अध्यापक जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बालक के प्रवेश के संबंध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा संबंधित प्राधिकरण (रजिस्ट्रार, जन्म तथा मृत्यु) को ऐसी सूचना के छह मास के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति अग्रेषित करेगा।

10. (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की होगी। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। धारा 15

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहां वह विद्यालय के प्रधान या अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

11. हिन्दी को सभी विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से अधिमान दिया जाएगा। किसी शिक्षा का माध्यम। अन्य शिक्षा के माध्यम को अपने के इच्छुक संस्था को निदेशक की पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी। यह अनुज्ञा निदेशक के कार्यालय में पत्र की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। यदि अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो यह प्रदान की गई समझी जाएगी।

12. (1) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, विद्यालय को उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय इन नियमों के मान्यता।

प्रारम्भ के तीन मास की अवधि के भीतर सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट सनियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में प्ररूप I तथा II में स्वघोषणा करेगा, अर्थात्:-

- (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वैयक्तिक व्यष्टि-संगम या फर्म या सोसाइटी, या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन सर्जित न्यास, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 11) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी द्वारा संचालित विद्यालय है। विद्यालय प्राधिकरण इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुसरण करेगा;
- (ख) विद्यालय संविधान में प्रतिस्थापित आदेशों के अनुरूप हैं;
- (ग) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं;
- (घ) विद्यालय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध हैं;
- (ङ) विद्यालय समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करता है, जिनकी अपेक्षा की जाए, और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- (च) धारा 25 में यथा विनिर्दिष्ट शिष्य अध्यापक अनुपात अनुरक्षित किया जाता है;
- (छ) विद्यालय बाधा मुक्त पहुंच मुहैया करता है तथा अशक्तता वाले बालकों के लिए प्रसाधन बनाता है।

(2) प्ररूप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए रखी जाएगी।

(3) एक निरीक्षण समिति होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध ग्राम पंचायत का सरपंच/वार्ड का नगरपालिका पार्षद, जिसमें विद्यालय स्थित है, शामिल होंगे। समिति ऐसे विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण करेगी जो स्वतः घोषणा की प्राप्ति के दो मास के भीतर उप नियम (1) में वर्णित सन्नियमों तथा मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए प्ररूप 1 में दावा करते हैं।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मौलिक शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी।

(5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा ऐसा विद्यालय 31 मार्च, 2013 से पूर्व किसी समय मान्यता को प्रदान करने के लिए स्थल के निरीक्षण हेतु जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।

(6) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् की गई है वे मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों तथा परिशिष्ट I तथा परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट भूमि तथा भवन के लिए मानकों को पूरा करेगा। मान्यता प्रदान करने से पूर्व समिति उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट निरीक्षण करेगी तथा तदानुसार मान्यता उक्त उप नियम में यथाविनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर उप नियम (4) में यथा वर्णित प्राधिकरण द्वारा दी गई मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

13. (1) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्व:प्ररेणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 11 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, तो वह निम्नलिखित रीति में कार्य करेगा:—

विद्यालय की मान्यता वापस लेना।

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करना और इक्कीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगना ;

(ख) स्पष्टीकरण के समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिले के उपायुक्त द्वारा नामांकित की जाने वाली निम्नलिखित मनोनीत सदस्यों से गठित तीन से पाँच सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है :—

(i) शिक्षाविद 1 ;

(ii) पंचायती राज सस्था-1 ;

(iii) जन संचार प्रतिनिधि-1 ;

(iv) सरकारी प्रतिनिधि-2 ;

समिति द्वारा विधिवत् जांच की जाएगी तथा मान्यता को जारी रखने या इसकी वापसी के लिए अपनी सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(ग) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ समिति की रिपोर्ट को पन्द्रह दिवसों के भीतर निदेशक को भेजेगा।

(2) निदेशक विधिवत् जांच के बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिवसों की अवधि के भीतर स्कूल की मान्यता वापस लेने या अन्यथा के लिए स्पीकिंग आदेश पारित करेगा।

(3) निदेशक, उप नियम (2) में सन्दर्भित आदेश के आधार पर अपना निर्णय पन्द्रह दिवसों के भीतर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा :

परन्तु ऐसे विद्यालय को प्रबन्ध समिति के सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मान्यता को इस प्रकार वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक, द्वारा पारित आदेश का आगे निष्पादन इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के भीतर करेगा।

(5) मान्यता रद्द करने का आदेश तुरन्त उत्तरवर्ती शैक्षणिक वर्ष से कारगर होगा तथा आस-पड़ोस के विद्यालयों जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को दाखिला दिया गया है, को विनिर्दिष्ट करेगा।

विद्यालय प्रबंधन
समिति की संरचना
तथा कृत्य।

14. (1) इन नियमों के प्रारम्भ से छह मास के भीतर अपनी अधिकारिता के भीतर गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति (जिसे, इसमें, इसके बाद, एस०एम०सी० के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन उपनियम (4) में यथा उपबंधित संयोजक सदस्य को छोड़कर सदस्यों से गठित होगी, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) विद्यार्थियों की संख्या 001-300 तक-12 सदस्य ;

(ii) विद्यार्थियों की संख्या 301-500 तक-16 सदस्य ;

(iii) विद्यार्थियों की संख्या 501 या अधिक-20 सदस्य।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता-पिताओं या संरक्षकों में से होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों के माता-पिता तथा अभिभावकों की एक सभा का आयोजन समिति के गठन के लिए विद्यालय के मुख्य शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में किया जाएगा। माता पिता तथा अभिभावक संघ विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए यथाअपेक्षित सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। किसी मामले में विवाद की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी को जिला तथा बाद में मौलिक शिक्षा अधिकारी को मामले के समाधान के लिए सूचित किया जाएगा।

(3) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात्:-

(क) नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के बालकों में से एक-तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय समिति में माता-पिताओं/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में पच्चास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित होगा। विशेष आवश्यकता के साथ बालकों के कम से कम माता या पिता को विद्यालय प्रबंधन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि वह पहले से ही शामिल न हो।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तथा उपाध्यक्ष माता-पिता/संरक्षण सदस्यों में से होगा। विद्यालय का मुख्य अध्यापक या विद्यालय में जहाँ मुख्य अध्यापक नहीं है, वहाँ विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजन होगा।

(6) विद्यालय प्रबंधन समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और सदस्य-संयोजक द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों जिसके लिए यह इसके सदस्यों में से लघु कार्यसमूह से गठित हो सकती है, का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (क) अधिनियम में यथा प्राधिकरण बालक के अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस-पड़ोस की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में सूचित करना ;
- (ख) धारा 24 के खण्ड (क) और (ड) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;
- (ग) इस बात की निगरानी करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर-शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;
- (घ) विद्यालय में आस-पड़ोस के सभी बालकों को नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;
- (ड) अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों को बनाए रखने की निगरानी करना ;
- (च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकरण की जानकारी में लाना ;

- (छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;
- (ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;
- (झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;
- (ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ;
- (ट) सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।

(8) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसकी प्रत्येक वर्ष संपरीक्षा की जाएगी ।

(9) उपनियम (6) के खण्ड (ज) और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखों को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उनके तैयार किए जाने की एक मास की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

विद्यालय विकास
योजना तैयार करना ।

15. (1) विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी ।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित व्यौरे होंगे : —

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा एक से पाँच और कक्षा छः से आठ के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अशकालिक अध्यापक शामिल हैं, की संख्या की अपेक्षा तीन वर्ष की अवधि से ऊपर होगी ;

(ग) परिशिष्ट I तथा विनिर्दिष्ट II में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्ष की अवधि से उपर अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार तीन वर्ष की अवधि से ऊपर अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अन्तर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों जैसी बालकों/बालिकाओं की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी शामिल है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, की समाप्ति से पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपर उपायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) विद्यालय विकास योजना तैयार करने का प्रशिक्षण तथा एस.एम.सी. के सदस्य संयोजक तथा अन्य के सदस्यों को भौक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्देशक के परामर्श से दिया जाएगा।

16. (1) किसी मौलिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी जो धारा 23 के उपनियम (1) के अनुसरण में शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएं। न्यूनतम अर्हताएं।

(2) शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खण्ड (द) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी तथा जहां कतिपय अध्यापकों के संबंध में शैक्षणिक प्राधिकरण परिभाषित नहीं किया गया वहां सरकार मानकों को विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी अधिसूचित करेगी।

17. (1) सरकार अध्यापक को प्रयाप्त शिक्षा सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाएगी कि धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (i), (ii) तथा (vi) में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापक जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन विहित न्यूनतम अर्हताएं न रखते हो, अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करना।

(2) धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (ii) तथा (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों के अध्यापक के लिए, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने पर नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन कथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखता है तो ऐसे विद्यालय का संबंध अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए ऐसे अध्यापक योग्य होंगे।

अध्यापकों की सेवा की शर्तें।

18. (1) निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:—

- (क) विद्यालय प्रबंधन समिति को अध्यापकों की जवाबदेही ;
- (ख) विद्यालय अध्यापकों के लिए नियमों के संचालन हेतु संसकित तथा कृतिक नीति शास्त्र ;
- (ग) शैक्षणिक वृत्ति में अध्यापकों के दीर्घावधि तक बने रहने के समर्थकारी उपबन्ध।

अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य।

19. (1) धारा 24 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों की अनुपालना में तथा धारा 29 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) की अपेक्षा पूरी करने के क्रम में अध्यापक एक फाइल रखेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संवयी अभिलेख होगा जो धारा 30 की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट शिक्षा के पूरा होने के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु आधार होगा।

(2) धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त अध्यापक नियमित अध्यापन में बाधा के बिना उसको दिए गए निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात् :—

- (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना ;
- (ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक विकास में भाग लेना ;
- (ग) दैनिक अध्यापक डायरी का रख रखाव।
- (घ) धारा 4 द्वारा यथा अधिदेश विशेष प्रशिक्षण देना।
- (ङ) सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बालक ने सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विद्या परिणाम का न्यूनतम स्तर तथा उस द्वारा प्राप्त स्तर की पहुंच प्राप्त कर ली है।
- (च) बालक के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना तथा शिक्षकीय प्रणाली अपनाएगा ताकि बालक के चौतरफा विकास के लिए व्यक्तिगत सावधानी सुनिश्चित की जा सकें।
- (छ) विद्यालय सुविधाएं जैसा कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा आई.सी.टी. खेल कूद तथा क्रीड़ा कार्य इत्यादि का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।

अध्यापकों की शिकायत का निवारण।

20. सरकार अध्यापकों के लिए समुचित शिकायत निवारण प्रणाली विनिर्दिष्ट करेगी।

21. (1) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय शैक्षणिक प्राधिकरण, - शैक्षणिक प्राधिकरण के कर्तव्य।

- (क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा ;
- (ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा ; और
- (ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा ;
- (घ) धारा 30 की उप धारा (2) के प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी; तथा
सरकार या निदेशक द्वारा शैक्षणिक प्राधिकारी को सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(2) शैक्षणिक प्राधिकरण नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

(3) शैक्षणिक प्राधिकरण कृत्य करेगा तथा निदेशक तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परामर्श से सभी निर्णय करेगा।

22. (1) मौलिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाणपत्र मुख्य शिक्षक या प्रधान अध्यापक द्वारा मौलिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में-

- (क) प्रमाणित किया जाता है कि धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट अध्ययन के सभी पाठ्यक्रम को बालक द्वारा पूरा कर लिया गया है ; तथा
- (ख) बालक का शिक्षण संचित अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा तथा अध्ययन के विहित पाठ्यक्रम से परे गतिविधियों के क्षेत्र में बालक की उपलब्धि भी विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा संगीत, नृत्य, साहित्य अतिरिक्त पाठ्यन्तर गतिविधियों, शौक, खेलों इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा।

23. सरकार इन नियमों के प्रारम्भ के छह मास के भीतर धारा 31 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट करेगी। शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

राज्य सलाहकार
परिषद् का गठन
तथा कृत्य।
धारा 34

24. (1) राज्य सलाहकार परिषद् अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी:—

- (i) विद्यालय शिक्षा विभाग का कार्यभारी मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;
- (ii) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, हरियाणा परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा ;
- (iii) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का पदेन सदस्य होगा ;
- (iv) राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;
- (v) निदेशक, महिला तथा बाल विकास विभाग, हरियाणा परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;
- (vi) निदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा ;
- (vii) सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;
- (viii) परिषद् के अन्य सदस्य, सरकार मौलिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निम्न प्रकार से नियुक्त करेगी:—
 - (क) कम से कम तीन सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों में से होने चाहिए ;
 - (ख) कम से कम दो सदस्य विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होने चाहिए ;
 - (ग) एक सदस्य पूर्व मौलिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिए ;
 - (घ) कम से कम दो सदस्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिए ;
 - (ङ) सदस्यों का एक तिहाई पदेन सदस्यों से भिन्न महिला होंगी।

(2) निदेशक परिषद् की बैठकों और इसके अन्य कृत्यों के लिए संभार तंत्र सहायता का प्रबंध करेगा।

(3) परिषद् के कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी,—

- (i) परिषद् ऐसे समय पर नियमित रूप से बैठक करेगी जो अध्यक्ष उचित समझे किन्तु इसकी अन्तिम तथा आगामी बैठक के बीच तीन मास का अन्तर नहीं होगा ;
- (ii) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित न हो सके तो परिषद् का उपाध्यक्ष ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति तभी पूरी समझी जाएगी यदि बैठक में इसके कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित हों।

(4) परिषद् के सदस्यों को नियुक्त करने हेतु निबंधन तथा शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :—

(क) प्रत्येक सदस्य कार्यालय ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में अपने पद पर रहेगा :

परन्तु कोई भी सदस्य दो अवधियों से अधिक अपना पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) सदस्य को प्रमाणित अभद्र व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा या निम्नलिखित किसी एक या अधिक घटनाओं के कारण उसके पद से हटाया जा सकता है ;

- (i) दिवालियापन घोषित होने पर ; या
- (ii) काम करने की मनाही या काम करने में अक्षम होने पर ; या
- (iii) विकृत चित्त या सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित करने पर ; या
- (iv) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है ; या
- (v) सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध किया हो ; या
- (vi) परिषद् से बिना अवकाश प्राप्त किए परिषद् की निरन्तर दो बैठकों में अनुपस्थित रहा हो:

परन्तु किसी भी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान न किया गया हो;

- (ग) यदि सदस्यों के कार्यालय में कोई रिक्ति चाहे उसकी मृत्यु के कारण, इस्तीफा या अन्यथा होती है, तो ऐसी रिक्ति उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार नई नियुक्ति करते हुए 120 दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी ;
- (घ) परिषद् के सदस्य राजकीय दौरों, तथा यात्राओं के लिए समिति तथा आयोग तथा उसी प्रकार के व्यक्तियों के प्रवर्गों, के गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

शंकाओं का दूर
किया जाना।

25. जहां इन नियमों के लागू होने के उपबंधों में से किसी की व्याख्या के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

परिशिष्ट I

(देखिए नियम 12)

हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल, शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के लागू होने से पूर्व स्थापित विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि/मानक भवन

क्रम संख्या	ब्यौरे	प्राथमिक विद्यालय	मिडल विद्यालय
1	भूमि	भवन तथा खेल मैदान के लिए भूमि	भवन तथा खेल मैदान के लिए भूमि
2	भवन	बाधा मुक्त पहुँच सहित सभी मौसम भवन	बाधा मुक्त पहुँच सहित सभी मौसम भवन
3	कक्ष संख्या	प्रति अध्यापक एक कक्ष	प्रति अध्यापक एक कक्ष
4	कार्यालय कक्ष/मुख्य अध्यापक कक्ष/भण्डार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
5	रसोई एवं भण्डार (जहां कहीं लागू हों)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
6	प्रसाधन	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक-पृथक	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक-पृथक
7	खेल मैदान	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
8	चार-दीवारी/बाड़ा	पर्याप्त ऊँचाई	पर्याप्त ऊँचाई
9	पुस्तकालय	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

परिशिष्ट II

(देखिए नियम 12)

हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के लागू होने के बाद स्थापित विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि/मानक भवन

क्रम संख्या	ब्यौरे	प्राथमिक विद्यालय	मिडल विद्यालय
1	भूमि (नगरपालिका क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
2	भूमि (ग्रामीण क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	एक एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
3	भवन	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)
4	कक्षा-कक्ष का आकार (आई.एस. 8827-1978 के अनुसार प्रति विद्यार्थी कम से कम 12 वर्ग फुट)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
5	कक्षा कक्षों की संख्या	प्रति अध्यापक एक कक्ष	प्रति अध्यापक एक कक्ष
6	कार्यालय एवं मुख्य कक्ष	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
7	पुस्तकालय	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
8	प्रयोगशालाएं (विज्ञान/गणित/भूगोल/कम्प्यूटर/अन्य प्रयोगशालाओं सहित)	600 वर्ग फुट (वैकल्पिक)	600 वर्ग फुट
9	भण्डार	375 वर्ग फुट	375 वर्ग फुट
10	रसोई एवं भण्डार (जहां कहीं लागू हो)	270 वर्ग फुट	270 वर्ग फुट
11	गतिविधि कक्ष (वैकल्पिक)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
12	बहुसाधन/एजुसेट कक्ष	600 वर्ग फुट	600 वर्ग फुट

13	लडकों तथा लडकियों के लिए पृथक प्रसाधन (विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए ग्रैब रेल ला हाईट कमोड विशेष प्रसाधन की व्यवस्था सहित)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
14	चारदीवारी	6 फुट ऊँचाई	6 फुट ऊँचाई
15	बरामदा	8 फुट चौड़ा	8 फुट चौड़ा
16	सीढ़ी (यदि कोई हो)	8 फुट चौड़ी	8 फुट चौड़ी

टिप्पण :-

1. प्रत्येक कक्ष में वायुसंचार तथा प्रकाश के लिए दो दरवाजे तथा पर्याप्त खिड़कियां होंगी।
2. भूमि/भवन दस्तावेजों सहित समुचित प्राधिकारणों से भूमि स्वामित्व प्रमाण, भवन निष्पादन प्रमाण-पत्र, अवसंरचना सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र भूमि उपयोग इत्यादि के परिवर्तन के बारे में अनुज्ञा प्रस्तुत की जानी होगी।

परिशिष्ट III

[देखिए नियम 2 (भ)]

बालकों के लिए वर्दी

	लड़के	लड़कियां
कपड़े	कमीज-पैंट	प्राथमिक- सलवार-कमीज या टॉप तथा सकर्ट कम्बीनेशन मिडल- सलवार-कमीज दुपट्टा या टाप तथा सकर्ट कम्बीनेशन
	जुराबें, गर्म पुरी बाजु की जर्सी (सर्दी)	जुराबें, गर्म पुरी बाजु की जर्सी (सर्दी)
अतिरिक्त वस्तुएं	बैल्ट, गले की टाई, पहचान टैग, फीतों वाले जूते।	बैल्ट, गले की टाई, पहचान टैग, फीतों वाले जूते।

प्ररूप I

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्व: घोषणा--एवं--आवेदन पत्र
[देखिए नियम 12 (1)]

सेवा में,

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
जिला

(हरियाणा)

महोदय/महोदया,

मैं इसके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्व: घोषणा और
..... (विद्यालय का नाम) को वर्ष 20..... विद्यालय के मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन अग्रेषित करता/करती हूँ।

अनुलग्नक :

भवदीय,

स्थान :

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

तारीख :

क. विद्यालय के ब्यारे		
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र	
3	जिला	
4	डाक पता	
5	ग्राम/शहर	
6	तहसील	
7	पिन कोड	
8	एसटीडी कोड सहित दूरभाष नम्बर	
9	फैक्स	
10	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
11	निकटतम पुलिस थाना	
ख. साधारण सूचना		
1	स्थापना का वर्ष	
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तिथि	
3	न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धक समिति का नाम	
4	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति पंजीकृत है	
5	वह अवधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धक समिति का पंजीकरण विधिमान्य है	
6	गैर स्वामित्व क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के प्रकृति का कोई साक्ष्य है, जो शपथ-पत्र सदस्यों के पत्रों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो	
7	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	दूरभाष	(कार्यालय) (निवास)

8	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय आधिक्य/कमी			
	वर्ग	आय	व्यय	आधिक्य/कमी
9	यदि विद्यालय के लिए भूमि सरकार या किसी अन्य सुविधा के लिए नकद में या किसी प्रकार से सरकार से ली है।			
ग. विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र				
1	शिक्षा का माध्यम			
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं विनिर्दिष्ट करें)			
3	यदि सहायता प्राप्त है, तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत			
4	यदि विद्यालय मान्यताप्राप्त है			
5	यदि हां, तो किस प्राधिकारी द्वारा			
	● मान्यता संख्याक			
6	क्या विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किराए के भवन में कार्य कर रहा है?			
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है			
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल			
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र			
घ. नामांकन स्थिति				
	कक्षा	अनुभागों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	
1	पूर्व-प्राथमिक			
2	I से V			
3	VI से VIII			

ड. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं			
	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1	कक्षा		
2	कार्यालय कक्ष--सह--भंडार कक्ष--सह--प्राध्यापक कक्ष		
3	रसोई--सह--भंडार		

च. अन्य सुविधाएं		
1	क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधरहित पहुंच प्राप्त है	
2	अध्यापक पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	खेलकूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा <ul style="list-style-type: none"> • पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) • पत्रिकाएं/समाचार-पत्र 	
5	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6	स्वच्छता संबंधी दशाएं	
	(i) शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या	
	(ii) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	
	(iii) बालिकाओं के लिए मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	

छ. अध्यापन कर्मचारिवृंद की विशिष्टियां			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2 प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक रूप से)			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

3 प्रधान अध्यापक			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
ज. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम			
1	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ब्यौरे (कक्षा आठ तक)		
2	विद्यार्थियों के निर्धारण की पद्धति		
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा आठ तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है?		

- (झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस आंकड़े प्राप्ति प्रारूप में भी सूचना प्रस्तुत की है।
- (ञ) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय को कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- (ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय वचनबद्ध है कि ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित प्राधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ऐसे अनुदेशों की अनुपालना करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- (ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

स्थान :
दिनांक :

हस्ता/-
प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धन
विद्यालय: -----

प्ररूप - II

[देखिए नियम 12 (4)]

फोन :

निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा का कार्यालय

सेवा में

प्रबन्धक,

..... विद्यालय।

विषय:-

निः शुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तिथि से तिथि तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता/देती हूँ।

उपरोक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- 1 मान्यता की अनुमति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, पूर्व प्राथमिक कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद गुप के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य मौलिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा :
परन्तु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस मानक का अनुसरण किया जाएगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 विद्यालय किसी शुल्क या प्रभार का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटनी (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।

- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का साक्ष्य न होने के कारण यदि ऐसा प्रवेश, प्रवेश के लिए विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया है, तो उसे मना नहीं किया जाएगा तथा धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
- 7 विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :-
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक या बालिका को विद्यालय में उसकी मौलिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं करेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं करेगा;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा;
 - (iii) मौलिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - (iv) मौलिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को नियम 22 के अधीन तथा अधिकथित एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ;
- 8 विद्यालय शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय को धारा 19 में यथा विहित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के लिए नामांकित विद्यार्थियों में सन्तुलित करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों तथा संनियमों को बनाए रखने के लिए अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्र
 - (ii) क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
 - (iii) कक्षाओं की संख्या
 - (iv) मुख्याध्यापक सह-कार्यालय-सह-भंडारागार के लिए कक्ष
 - (v) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - (vi) पेयजल सुविधा

- (vii) अपराहन भोजन पकाने के लिए पाकशाला
- (viii) बाधारहित पहुंच
- (ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत किसी समिति द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 15 आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे लिख लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 16 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर मौलिक शिक्षा निदेशक/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 17 समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि, कोई हों, को सुनिश्चित किया जाए।
- 18 परिशिष्ट III के अनुसार अन्य शर्तें संलग्न की जाएं।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अपर निदेशक प्रशासन)
कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

प्रारूप—III

बालक ट्रैकिंग प्ररूप

[(देखिए नियम 6 (5)]

- (क) एकमात्र पहचान संहिता, नाम, लिंग, जन्मतिथि (जिसमें जन्म प्रमाण पत्र संख्या, जहां कहीं सम्भव हो, शामिल है) जन्म का स्थान;
- (ख) माता-पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;
- (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आगनबाड़ी केन्द्र जिसमें बालक उपस्थित होता है (पौंच वर्ष की आयु तक);
- (घ) मौखिक विद्यालयों द्वारा बालक का स्थान है/था;
- (ङ) बालक का वर्तमान पता;
- (च) कक्षा जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है/या (पौंच वर्ष तथा से अधिक की आयु के बालक के लिए, किन्तु जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है);
- (छ) यदि शिक्षा स्थानीय क्षेत्रीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता में बन्द हो गई है, ऐसी समाप्ति के कारण तथा अवधि;
- (ज) क्या बालक कमजोर वर्ग एवं अन्तःमार्गद ग्रुप से संबंधित है (नियम 2(1)(च) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग तथा अन्तःमार्गद ग्रुप का प्रवर्ग सूचित करें)।
- (झ) प्रवास तथा विरल जनसंख्या, उचित आयु प्रवेश तथा अशक्तता के कारण विशेष सुविधाएं की अपेक्षा वाले बालकों के ब्यारे।
- (ञ) विद्या-प्राप्ति (उचित कक्षा/आयु के अनुसार पढ़ाई/लिखाई/बोध/सक्षमता)।

सुरीना राजन,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग।

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 3rd June, 2011

No: S.O. 49 /C.A.35/2009/S.38/2011.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely : -

1. (1) These rules may be called the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

Short title and
Commencement.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009);
- (b) "Academic Authority" means the State Council of Educational Research and Training, Gurgaon;
- (c) "Anganwadi" means an anganwadi centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development, Government of India;
- (d) "Appendix" means the appendix annexed to these rules;
- (e) "Appropriate age for appropriate class" means the age for admission in class, which shall be, -
 - (i) for Class One : five years to six years;
 - (ii) for Class Two : six years to seven years;
 - (iii) for Class Three : seven years to eight years;
 - (iv) for Class Four: eight years to nine years;
 - (v) for Class Five : nine years to ten years;
 - (vi) for Class Six : ten years to eleven years;
 - (vii) for Class Seven : eleven years to twelve years;
 - (viii) for Class Eight : twelve years to thirteen years;

-
- (f) "Child belonging to weaker sections and disadvantaged group" means a child belonging to any of the following categories,—
- (i) a child of a family covered under the latest list of Below Poverty Line of both rural and urban areas issued and approved by the Government;
 - (ii) an orphan;
 - (iii) a HIV affected child;
 - (iv) a child with special needs;
 - (v) a child of war widow;
- (g) "Director" means the Director, Elementary Education Department and includes any other officer authorized by the Government in this behalf;
- (h) "District Elementary Education Officer" means the District Elementary Education Officer of the District in which a recognized primary/middle school is situated and includes any other officer authorized by the Government in this behalf;
- (i) "Form" means a form appended to these rules;
- (j) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (k) "Local Authority" besides the bodies defined in the Act, includes—
- (i) the School Management Committee;
 - (ii) the Block Education Officer, Block Elementary Education Officer, District Elementary Education Officer, Additional Deputy Commissioner and Deputy Commissioner;
 - (iii) 'Mewat Development Board' and 'Shivalik Development Board' in their respective jurisdiction;
- (l) "managing committee" means the body of individuals entrusted with the management of a recognized private school;
- (m) "municipality" means a municipality as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);
- (n) "Neighbourhood area" means a ward declared as such under the Haryana Municipal Act, 1973, (24 of 1973), Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) in urban areas and Gram Panchayat under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), as the case may be;

- (o) "neighbourhood school" means a school which is attached with one or more neighbourhood area by the local authority with the approval of the Director;
- (p) "pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
- (q) "Right to Education Protection Authority" means an authority constituted under sub-rule (2) of rule 23;
- (r) "section" means the section of the Act;
- (s) "State Advisory Council" means the council constituted under sub-section (1) of section 34;
- (t) "school bag" means a bag that can sufficiently carry all the reading and writing material;
- (u) "School Management Committee" means the committee constituted under sub-section (1) of section 21;
- (v) "school mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distances;
- (w) "textbooks" mean textbooks, supplementary readers and workbooks or any other reading material as may be specified by the Government;
- (x) "Uniform" includes all clothes and accessories as mentioned in appendix-III;
- (y) "writing material" means notebook, exercise book, pen, pencil, colour box, eraser or any other material as may be specified by the Government;

(2) Words and expressions used but not defined herein but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. (1) The School Management Committee of a school owned and managed by the Government or a local authority shall identify children requiring special training and organise such training in the following manner, namely:-

Special Training.

- (a) the special training shall be based on specially designed, learning material, appropriate to the age as approved by the academic authority;
- (b) it shall be provided in classes to be held in the premises of the school;
- (c) it shall be provided by teachers working in the school;
- (d) the duration of the said training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon admission into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

Area or limits of
neighbourhood school.

4. (1) The area or limits of neighbourhood within which a school is to be established by the Government shall be-

(a) from classes I to V, within a distance of one kilometre:

Provided that there are at least thirty children within the age group of five to six years;

(b) from classes VI to VIII, within a distance of three kilometre:

Provided that there are at least one hundred and fifty children in the primary school and minimum thirty children in class V.

(2) In areas with difficult terrain, risk of landslides, floods, lack of roads and in general, danger for young children in the approach from their homes to the school, the Government or the Local Authority shall consider locating the school in such a manner as to avoid such dangers by reducing the limits specified under sub-rule(1).

(3) For small hamlets as may be identified by the Government or the Local Authority, where no school exists within the area or limits of neighbourhood specified under sub-rule (1) above, the Government or the Local Authority shall make adequate arrangements, such as free transportation and other facilities, in relaxation of the limits specified under sub-rule(1).

(4) In area with high population density, the Government or the local authority shall consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of six to fourteen years in such area.

(5) The local authority shall identify the neighbourhood schools where children can be admitted and make such information public for each habitation within its jurisdiction after the approval of the Director.

(6) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the Government or the local authority shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangement.

(7) The Government or the local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

(8) Before opening a new school, the Government shall undertake rationalization exercise within the existing primary and upper primary schools and take appropriate decisions including those relating to their merger or closure as may emerge from the rationalization exercise.

(9) In order to maintain the Pupil-Teacher Ratio in each school, the Government shall conduct a rationalisation and redeployment exercise of teachers. Such exercise shall be completed by 30th of June of every year and the deployment of the teachers shall be governed by the norms specified in the schedule.

5. (1) A child attending a school referred to in sub-clause (i) and (ii) of clause (n) of section 2, in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 12, and a child attending a school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be entitled to free education as provided for in sub-section (2) of section 3 :

Responsibilities of Government and local authority.

Provided that a child with disabilities shall also be provided free special learning and support material.

Explanation: In respect of a child admitted in pursuance of clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 12, the responsibility of providing the free education and other facilities shall be of the school referred to in sub-clause (ii), (iii) and (iv) of clause (n) of section 2, respectively.

(2) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood school, the local authority in consultation with the Director shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disabilities, children belonging to disadvantaged groups, children belonging to weaker sections and children referred to in section 4, within a period of one year from the date of publication of these rules and every year thereafter.

(3) The Government and the local authority shall ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse in a school.

(4) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the Government and the local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities.

(5) The Government and the local authority shall endeavour to provide pre-primary education to the children above three years and before their admission to class one.

6. (1) The local authority through Anganwadi worker shall maintain a record of all children, within its jurisdiction, through a household survey, from birth till they attain the age of five years.

Maintenance of records of children by the local authority.

(2) The District Elementary Education Officer shall, with the help of the local authority, maintain a record of all children, within his jurisdiction, through a household survey, from age of five years till they attain the age of fourteen years.

(3) The record, referred to in sub-rule (1) and (2), shall be updated each year.

(4) The record, referred to in sub-rule (2), shall be maintained transparently, in the public domain and used for the purposes of clause (e) of section 9 or any other purpose, as may decided by the Director.

(5) The record, to be codified, referred to in sub-rule (1) and (2) shall contain such information as specified in Form 3.

(6) The Block Education Officer or the Block Elementary Education Officer, as the case may be, and the District Elementary Education Officer shall jointly ensure that the names of all children enrolled in a schools under their jurisdiction are publicly displayed in the school.

(7) A comprehensive health card shall be maintained in respect of every child by conducting health check up in association with the Public Health Centre and Anganwadi/pre-primary school. The required medical assistance and management shall be provided to the children as required. The health card shall be updated yearly till the child completes elementary education.

Admission of children
belonging to weaker
section and
disadvantaged groups.

7. (1) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12 are not segregated from the other children in the classrooms and their classes are not held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) to sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to usage of academic and non academic facilities in the school such as classrooms, laboratories, library and Integrated computer training facilities, extra-curricular activities and sports.

(3) The areas or limits of neighbourhood specified in sub-rule (1) of rule 4 shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12 :

Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12, extend these limits with the prior approval of the Director.

(4) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that at least twenty five percent of total seats of class one or previous classes, wherever applicable, are reserved in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 for the children belonging to weaker sections and disadvantaged groups :

Provided that five percent seats for children of Scheduled Castes, four percent seats for children of Backward Classes (A) and two and half percent for children of Backward Classes (B) category shall be reserved for weaker sections and disadvantaged groups :

Provided further that if the number of applicants for admission in a particular school is more than the number of seats for children belonging to weaker sections and disadvantaged groups, the admission shall be done by draw of lots.

Explanation: The admission to the seats mentioned above shall be given to the children to such schools connected to a neighbourhood area where their families normally reside not otherwise. The Director will issue the guidelines so as to confirm the residence of a family in a neighbourhood.

(5) The schools referred to in clause (ii) of clause (n) of section 2 shall reserve seats from class one or previous class, if any, to class eight in proportion to grants received by the school in any manner, and admit children in such proportion and provide free and compulsory education to them in accordance with clause (b) of sub-section (1) of section 12. Such admissions shall be made in the following manner:-

(a) (i) twenty five percent seats shall be reserved in class one or previous class, if any, to the children belonging to weaker and disadvantaged group. The distribution of such seats shall be made as per sub-rule (4) of rule 7; and

(ii) out of total reserved seats, remaining seats in class one or previous class, if any, shall be filled up from children residing in that neighbourhood area to which that school is attached.

(b) schools of such category shall reserve seats from class two to eight in proportion to grant received by these schools.

(6) The schools of such category shall ensure completion of elementary education of all children admitted therein under the provision mentioned above.

8. (1) The total annual recurring expenditure incurred by the Government, whether from its own funds, or funds provided by the Central Government or by any other authority, on elementary education in respect of all schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per-child expenditure incurred by the Government.

Reimbursement of per-child expenditure by the Government.

Explanation : For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(2) Every school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12.

(3) The school in the month of July every year shall submit the list of names of the children admitted in a school to the District Elementary Education

Officer for verification. These names shall also be displayed in a manner as required by the Director .

(4) The schools mentioned in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 which have received land, building, equipments or other facilities for the establishment and operation of the schools free or on concessional rates and have while availing such facilities undertaken to provide free education to children in one or more classes, shall be bound by that commitment. Accordingly no reimbursement shall be made in such proportion under which the school has to provide free and compulsory education as per the commitment as detailed above.

(5) (a) The schools mentioned in sub-clauses (ii) of clause (n) of section 2 shall give admission in proportion to the grants received from the Government as per rule 7 and no reimbursement of expenditure shall be given to such schools.

(b) The expenditure shall be reimbursed to the schools mentioned in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in proportion to the admissions given to the children of weaker sections and disadvantaged group.

(6) (a) The Government shall constitute a committee comprising of Financial Commissioner and Principal Secretary (Finance), Financial Commissioner and Principal Secretary (School Education), Financial Commissioner and Principal Secretary (Planning), Director of Elementary Education and State Project Director, Sarav Shiksha Abhiyan. The committee shall meet three months after the notification of these rules, and thereafter every year in the month of September to assess the per-child expenditure for the next academic year.

(b) The reimbursement of expenditure incurred by a school under specified category and an unaided school, on the children admitted under sub-clause (c) of clause (1) of section 12 shall be made directly through electronic transfer to a separate bank account maintained by the school in two instalments during the academic year. First instalment of fifty percent shall be reimbursed in the month of September and balance shall be reimbursed in the month of February. The second instalment shall be made after verification of the retention and attendance of such children subject to a minimum of eighty percent of attendance till January and the pupil cumulative record.

Documents as age
proof.

9. (1) Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 (6 of 1886) is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in a school: -

- (a) hospital / auxiliary nurse and midwife register record;
- (b) anganwadi record; or
- (c) affidavit of the age of the child by the parent or guardian .

(2) The head teacher shall intimate the local authority concerned regarding admission of any child without birth certificate and the concerned authority

(Registrar, Births and Deaths) shall forward copy of the birth certificate within six months of such intimation.

10. (1) Extended period of admission shall be six months from the date of commencement of the academic year of a school.

Extended period for admission.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

11. 'Hindi' shall be preferred medium of instruction in all schools. The institution willing to adopt any other medium of instruction shall take prior permission of Director. This permission shall be granted within forty five days of receipt of letter in the office of Director. In case the permission is not given within specified period, it shall be deemed to have been granted.

Medium of instruction.

12. (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Government or local authority, established before the commencement of these Rules, shall make a self declaration within a period of three months of the commencement of these rules, in Form I to the concerned District Elementary Education Officer regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in Appendix I and II and the following conditions, namely:-

Recognition of schools.

- (a) the school is run by any individual or association of individuals or firm or society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or trust created under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956). The School authority shall follow the norms specified under these rules;
- (b) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;
- (c) the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
- (d) the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government or the Local Authority;
- (e) the school furnishes such reports and information as may be required from time to time and complies with such instructions of the State Government or the Local Authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
- (f) the pupil-teacher ratio as specified in section 25 is maintained;
- (g) the school provides barrier free access and adapted toilets for children with disabilities.

(2) Every self declaration received in Form I shall be placed by the District Elementary Education Officer in public domain within fifteen days of its receipt.

(3) There shall be an inspection committee consisting of District Elementary Education Officer as Chairman and Block Education Officer, the Sarpanch of the concerned Gram Panchayat or Municipal Councillor of the ward in which the school is situated as member. The committee shall conduct on-site inspection of such schools which claim in Form I to have fulfilled the norms and standards and the conditions mentioned in sub-rule (1) within two months of the receipt of the self declaration.

(4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the Additional Director (Administration) / Joint Director (Administration) of the Directorate of Elementary Education within a period of forty five days from the date of inspection.

(5) Schools that do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be listed by the District Elementary Education Officer through a public order to this effect and such school may request the District Elementary Education Officer for an on-site inspection for grant of recognition at any time before 31st March, 2013.

(6) Every school, other than a school, owned or controlled by the Government or Local Authority established after the commencement of these rules shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) and also satisfy the norms for the land and building specified in Appendix I and Appendix II in order to qualify for recognition. Before the grant of recognition the inspection shall be carried out by the committee as specified in subrule (3) and accordingly the decision with regards to grant of recognition shall be taken by authority as mentioned in sub-rule (4) within the time scheduled as specified in the said sub-rule.

Withdrawal of
recognition to
schools.

13. (1) Where the District Elementary Education Officer on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognised under rule 11, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfil the norms and standards specified in the Schedule, he shall act in the following manner:-

- (a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within twenty-one days;
- (b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the District Elementary Education Officer may cause an inspection of the school to be conducted by a committee of

three to five members comprising of the following members to be nominated by the Deputy Commissioner of the district, namely;

- (i) Educationist - 1;
- (ii) Panchayati Raj Institution - 1;
- (iii) Media - 1;
- (iv) Government Representatives - 2.

The committee shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal to the District Elementary Education Officer within one month.

- (c) The District Elementary Education Officer shall forward the report of the committee, along with his comments, to the Director within fifteen days.

(2) The Director shall, after due examination, pass a speaking order for withdrawal of recognition or otherwise, within a period of forty-five days from the date of receipt of the report from the District Elementary Education Officer.

(3) The Director shall, on the basis of the order referred to in sub-rule (2), convey its decision to the District Elementary Education Officer within fifteen days:

Provided that no recognition shall be so withdrawn without giving an opportunity of hearing to the managing committee of such school.

(4) The District Elementary Education Officer shall further execute the order passed by the Director within thirty days of its receipt.

(5) The order of de-recognition shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of the de-recognised schools shall be admitted.

14. (1) A School Management Committee shall be constituted in every school, other than an unaided school, within its jurisdiction, within six months of the commencement of the rules, and reconstituted every two years. A School Management Committee (hereinafter in this rule referred to as 'SMC') shall consist of (excluding the Convener Member as provided in sub-rule (4)), members as detailed below:

- (i) Strength of students - 001 - 300 = 12 members;
- (ii) Strength of students - 301 - 500 = 16 members;
- (iii) Strength of students - 501 and above = 20 members.

Composition and functions of the school management committee.

(2) Seventy five percent of the strength of the SMC shall be from amongst parents or guardians of children. A meeting of all parents and guardians whose wards are studying in the school will be arranged in the school premises by the Head Teacher or the senior most Teacher of the schools for the constitution of the committee. The association of parents and guardians will unanimously nominate members as required to the SMC. In case of any dispute the matter shall be reported to the Block Education Officer / Block Elementary Education Officer and subsequently to the District Elementary Education Officer for resolving the matter.

(3) The remaining twenty five percent of the strength of the SMC shall be from amongst the following persons, namely;

- (a) one third members from amongst the elected members of the municipality or Gram panchayat as the case may be;
- (b) one third members from amongst teachers from the school, to be decided by the teachers of the school;
- (c) one third from amongst local educationists or children in the school, to be decided by the parents/guardians in the Committee.

(4) In the composition of SMC fifty percent members shall be women. At least one member each, from amongst the total member of the SMC shall belong to scheduled caste and backward class categories. At least one parent of the children with special needs shall be co-opted in SMC if not included already.

(5) The School Management Committee shall elect a Chairperson and Vice Chairperson from among the parent/guardian members. The Head Teacher of the school or where the school does not have a Head Teacher, the senior most teacher of the school shall be the ex-officio Member-Convener of the School Management Committee.

(6) The School Management Committee shall meet at least once a month and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public by the Member - Convener.

(7) The School Management Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section(2) of section 21, perform the following functions, for which it may constitute smaller working groups from amongst its Members, namely :-

- (a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the State Government, Local Authority, school, parent and guardian;
- (b) ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24 and of section 28;

- (c) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27;
- (d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school;
- (e) monitor the maintenance of the norms and standards prescribed in the Schedule;
- (f) bring to the notice of the Local Authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per section 3(2);
- (g) identify the needs, prepare a Plan, and monitor the implementation of the provisions of section 4;
- (h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for learning by disabled children, and ensure their participation in, and completion of elementary education;
- (i) monitor the implementation of the mid-day meal in the school;
- (j) prepare an annual account of receipts and expenditure of the school;
- (k) any other task entrusted by the Government.

(8) Any money received by the School Management Committee for the discharge of its functions under this Act, shall be kept in a separate account, to be made available for audit every year.

(9) The accounts referred to in clause (j) of sub-rule (7) shall be signed by the Chairperson/ Vice-Chairperson and Convener of the School Management Committee and made available to the Deputy Commissioner within a period of one month of their preparation.

15. (1) The School Management Committee shall prepare a school development plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

Preparation of school development plan.

(2) The first School Development Plan shall be a three year plan comprising three annual sub plans.

(3) The School Development Plan shall contain the following details—

- (a) estimates of class-wise enrolment for each year;
- (b) requirement, over the three years period, of the number of additional teachers, including Head Teachers, subject teachers and part time teachers, separately for classes one to five and classes six to eight, calculated, with reference to the norms specified in the Schedule;

(c) physical requirement of additional infrastructure and equipments, over the three years period, calculated, with reference to the norms and standards specified in the Appendix I and II;

(d) additional financial requirement, over the three years period, year-wise, in respect of (b) and (c) above, including additional requirement for providing special training facility specified in section 4, entitlement of children, such as free text books and uniforms, and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson or Vice-Chairperson and Convener of the School Management Committee and submitted to the Additional Deputy Commissioner through the District Elementary Education Officer before the end of the financial year in which it is to be prepared.

(5) The Academic Authority in consultation with the Director shall provide training to Member-Convener and other members of the SMC in preparing School Development Plan.

Minimum qualification.

16. (1) The minimum qualifications for persons to be eligible for appointment as a teacher in an elementary school shall be such as notified by the academic authority in pursuance of sub-section (1) of section 23.

(2) The minimum qualifications laid down by the academic authority shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2 and where the academic authority has not defined the minimum qualifications in respect of certain categories of teachers the Government shall specify the norms.

(3) The Government shall notify the agency authorized to conduct the Teacher Eligibility Test.

Acquiring minimum qualifications.

17. (1) The Government shall provide adequate teacher education facilities to ensure that all teachers in schools referred to in sub-clause (i), (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications prescribed under sub-rule (2) of rule 17 at the time of commencement of the Act, acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

(2) For a teacher, of a school referred to in sub-clauses (ii) and (iv) of clause (n) of section 2, who does not possess the minimum qualifications laid down under sub-rule (2) of rule 17 at the time of commencement of the Act, the management of such school shall enable such teacher to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

Conditions of service of teachers.

18. (1) The terms and conditions of service shall take into account the following, namely:-

(a) accountability of teachers to the School Management Committee;

- (b) adherence to the conduct rules and code of professional ethics for school teachers;
- (c) provisions enabling long-term stake of teachers in the teaching profession.

19. (1) In performance of the functions specified in sub-section (1) of section 24 and in order to fulfil the requirements of clause (h) of sub-section (2) of section 29, the teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child which shall be the basis for awarding the completion certificate specified in sub-section (2) of section 30.

Duties to be performed by teachers Section 24(1)(F).

(2) In addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher shall perform the following duties assigned to him, namely :—

- (a) participation in training programmes;
- (b) participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and text book development;
- (c) maintaining a daily teacher's diary;
- (d) impart special training as mandated by section 4;
- (e) ensure that every child attains the minimum levels of learning outcomes specified by the academic authority for each subject and assess the levels achieved by him throughout the academic year;
- (f) act as a mentor to the children and shall adopt the tutorial system so as to ensure individual attention for the all-round development of the child.
- (g) ensure full utilization of school facilities like, library, laboratory and information and communication technology, sports and games, work education etc.

20. The Government shall specify an appropriate grievance redressal system for the teachers.

Grievance redressal of teachers.

21. (1) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority shall,—

Functions of academic authority.

- (a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material;
- (b) develop in-service teacher training design;
- (c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation;
- (d) prepare guidelines for award of certificates for the purpose of sub-section (2) of section 30; and any other work assigned to the academic authority by the Government or Director,

(2) The academic authority shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis.

(3) The academic authority shall carry out the functions and take all decisions in consultation with the Director and the Board of School Education, Haryana.

Award of certificate.

22. (1) The certificate of completion of elementary education shall be issued by the Head Teacher or Headmaster and countersigned by District Elementary Education Officer within one month of the completion of elementary education.

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall.—

- (a) certify that the child has completed all courses of study specified under section 29; and
- (b) contain the pupil cumulative record of the child and also specify achievements of the child in areas of activities beyond the prescribed course of study and may include music, dance, literature, extra-curricular activities, hobbies, sports, etc.

Constitution of Right to Education Protection Authority.

23. The Government shall specify the Right to Education Protection Authority for the purposes of performing the functions specified in sub-section (1) of section 31, within six months of the commencement of these rules.

Constitution and functions of the State Advisory Council.

24. (1) The State Advisory Council shall consist of a Chairperson and fourteen members,-

- (i) Minister in-charge of the School Education Department shall be the ex-officio Chairperson of the Council;
- (ii) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, School Education Department, shall be the ex-officio Vice-chairman of the Council;
- (iii) Director, Secondary Education shall be the ex-officio member of the Council;
- (iv) State Project Director, Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad shall be the ex-officio member of the Council;
- (v) Director, Women and Child Development Department, Haryana shall be the ex-officio member of the Council;
- (vi) Director, Elementary Education shall be the ex-officio member secretary of the Council;
- (vii) Secretary, Board of School Education, Haryana shall be the ex-officio member of the Council;
- (viii) other Members of the Council, shall be appointed by the Government from amongst persons having knowledge and

practical experience in the field of elementary education and child development, as under:

- (a) at least three members should be from amongst persons belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and Minorities;
- (b) at least two members should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;
- (c) One member should be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;
- (d) At least two members should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;
- (e) one third of the members shall be women other than the ex-officio members.

(2) The Director shall provide logistic support for meetings of the Council and its other functions.

(3) The procedure for transaction of business of the council shall be as under—

- (i) The council shall meet regularly at such times as the Chairperson thinks fit but three months shall not intervene between its last and the next meeting; and
- (ii) the meeting of the council shall be presided by the Chairperson. If for any reason the Chairperson is unable to attend the meeting of the council, Vice-chairman of the council shall preside over such meeting. Quorum of the meeting of the council shall be considered complete if at least fifty percent of its members are present.

(4) The terms and conditions for appointment of members of the council shall be as under:—

- (a) every member appointed by the Government shall hold office for a term of two years from the date on which he assumes office :

Provided that no member shall hold office for more than two terms;

- (b) the member may be removed from his office by an order of the Government on the ground of proved misbehaviour or

incapacity, or on the happening of any one or more of the following events :—

- (i) is adjudged an insolvent; or
- (ii) refuses to act or become incapable of acting; or
- (iii) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (iv) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
- (v) is convicted for an offence by a competent Court; or
- (vi) is without obtaining leave of absence from the Council, absent from two consecutive meetings of the council:

Provided that no member shall be removed from his office without being given an adequate opportunity of being heard;

- (c) if vacancy occurs in the office of Members, whether by reason of his death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled by making a fresh appointment;
- (d) members of the Council shall be entitled to reimbursement of travelling and daily allowances for official tours and journeys in accordance with the orders issued by the Government in relation to non-official members of the Committees and Commissions and such like categories of persons.

Removal of doubts

25. Where a doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these rules or their applicability, the matter shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

APPENDIX I

(See Rule 12)

Minimum land / building standards for a school established before coming into effect of the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011

Serial No.	Particulars	Primary School	Middle School
1.	Land	Land for building and playground	Land for building and playground
2.	Building	All weather building with Barrier free access	All weather building with Barrier free access
3.	Number of rooms	One room per teacher	One room per teacher
4.	Office room / Head teacher room / Store	As per requirement	As per requirement
5.	Kitchen-cum- Store (wherever applicable)	As per requirement	As per requirement
6.	Toilets	Separate for boys and girls	Separate for boys and girls
7.	Playground	As per requirement	As per requirement
8.	Boundary Wall / fencing	Of sufficient height	Of sufficient height
9.	Library	As per requirement	As per requirement

APPENDIX II

(See Rule 12)

Minimum land / building standards for a school to be established after coming into effect of the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011

Serial No.	Particulars	Primary School	Middle School
1.	Land (Municipal Area)	0.5 acre (Single compact unit)	0.5 acre (Single compact unit)
2.	Land (Rural Area)	0.5 acre (Single compact unit)	1 acre (Single compact unit)
3.	Building	All weather earthquake proof building Barrier free access (slope of ramp in ratio of 1:12)	All weather earthquake proof building Barrier free access (slope of ramp in ratio of 1:12)
4.	Size of Classroom (minimum 12 sq. ft. per student as per IS: 8827 – 1978)	432 sq. ft.	432 sq. ft.
5.	Number of class rooms	One room per teacher	One room per teacher
6.	Office cum Head's room	432 sq. ft.	432 sq. ft.
7.	Library	432 sq. ft.	432 sq. ft.
8.	Laboratories (includes science / math / geography / computers / other labs)	600 sq. ft. (Optional)	600 sq. ft.
9.	Store	375 sq. ft.	375 sq. ft.
10.	Kitchen-cum-Store (wherever applicable)	270 sq. ft.	270 sq. ft.
11.	Activity Rooms (optional)	432 sq. ft.	432 sq. ft.
12.	Multimedia/EDUSAT rooms	600 sq. ft.	600 sq. ft.
13.	Toilets separate for boys and girls (including provision for special toilet with grab rails / low height commode for children with special needs)	432 sq. ft.	432 sq. ft.

14.	Boundary Wall	6 ft. height	6 ft. height
15.	Verandah	Width 8 ft.	Width 8 ft.
16.	Stairs (if any)	Width 8 ft.	Width 8 ft.

Note:

1. Each room shall have two doors and sufficient windows for ventilation and lighting.
2. Land ownership proofs, Building completion certificate, Structural safety certificate and fire safety certificate, permission about change of land use etc. from the appropriate authorities have to be submitted along with land / building documents.

APPENDIX III

[See Rule 2 (x)]

UNIFORM FOR CHILDREN

	Boys	Girls
Clothes	Shirt Pants	Primary –Salwar-Kameej or top and skirt combination
	Socks	Middle – Salwar-Kameej-dupatta or top and skirt
	Woollen full sleeves Jersey (winter)	Combination Socks Woollen full sleeves Jersey (winter)
Assessories	Belt Necktie Identity tag Shoes with laces	Belt Necktie Identity tag Shoes with laces

FORM I

**SELF DECLARATION CUM APPLICATION
FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL**

[See Rule 12 (1)]

To,

The District Elementary Education Officer,

District _____ (Haryana)

Sir,

I forward herewith with a self declaration regarding compliance with the norms and standards prescribed in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the rules framed thereunder and an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to (Name of the school)

With effect from the commencement of the school year 20

Enclosures:

Yours faithfully,

Chairman of Managing
Committee/Manager

Place:

Date

A. School Details	
1. Name of School	
2. Academic Session	
3. District	
4. Postal Address	
5. Village/City	
6. Tehsil	
7. Pin Code:	
8. Phone No. with STD Code	
9. Fax No.	
10. E-mail address if any	
11. Nearest Police Station	

B. General Information	
1. Year of Foundation	
2. Date of First Opening of School	
3. Name of Trust/Society/Managing Committee	
4. Whether Trust/Society/Managing Committee is registered	

5. Period up to which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid			
6. Whether there is a proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy			
7. Name and official address of the Manager/President or Chairman of the			
School			
Name			
Designation			
Address			
Phone			(0)
			(R).....
8. Total Income and Expenditure during last 3 years surplus/deficit.			
Year	Income	Expenditure	Surplus/ deficit
9. If land for the school is taken from Government or any other facilities in cash or kind is taken from Government.			

C. Nature and area of School		
1. Medium of Instruction		
2. Type of School (Specify entry and exit classes)		

3. If aided, the name of agency and percentage of aid		
4. If School Recognized		
5. If so, by which authority •Recognition number		
6. Does the school has its own building or is it running in a rented building.		
7. Whether the school building or other structures of the grounds are used only for the purpose of education and skill development?		
8. Total area of the school		
9. Built in area of the school		
D. Enrolment Status		
Class	No. of Section	No. of Students
1. Pre-primary		
2. I- V		
3. VI-VIII		

E. Infrastructure Details and Sanitary Conditions		
Room	Numbers	Average Size
1. Classroom		
2. Office room - cum - Store Room - cum - Headmaster Room		
3. Kitchen - Cum -Store		

F. Other Facilities	
1. Whether all facilities have barrier free access	
2. Teaching Learning Material (attach list)	
3. Sports and Play equipments (attach list)	

<p>4. Facility books in Library</p> <ul style="list-style-type: none"> • Books (No. of books) • Periodical/Newspapers 	
<p>5. Type and number of drinking water facility</p>	
<p>6. Sanitary Conditions</p> <p>(i) Type of W.C. and Urinals</p> <p>(ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Boys</p> <p>(iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls</p>	

G. Particulars of Teaching Staff		
1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)		
Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
2. Teaching in both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)		
Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)

Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
3. Head Teacher		
Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

H. Curriculum and Syllabus	
1. Details of curriculum and syllabus followed in each class (upto VIII)	
2. System of Pupil Assessment.	
3. Whether pupils of the school are required to take any Board exam upto class 8?	

- I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application;

-
- J. Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority;
- K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the District Elementary Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the District Elementary Education Officer as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
- L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection, by any officer authorized by the District Elementary Education Officer or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central and / or State Government/ Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament / Legislative Assembly of the state/Panchayat/Municipal Corporation as the case may be

Sd./-

Place :

Chairman/Manager, Managing Committee

Date :

School

FORM II

[See Rule 12(4)]

OFFICE OF DIRECTOR, ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA

No. Dated:

To

The Manager,

_____ School

Subject : — Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 12 of Haryana State Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated _____ and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the _____ (name of the school with address) for Class _____ to Class _____ for a period of three years w.e.f. _____ to _____.

The above sanction is subject to fulfilment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The school shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Haryana State Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The school shall admit in class I, to the extent of _____% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion :
Provided, that in case of pre primary classes also, this norm shall be followed.
4. For the children referred to in paragraph 3, the school shall be reimbursed as per sub-section (2) of section 12. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account.
5. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.

6. The school shall not deny admission to any child for lack of age proof. If such admission is sought subsequent to the extended period specified for admission, the same shall not be denied and the child shall not be discriminated on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
7. The school shall ensure that:-
 - (i) no child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
 - (ii) no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
 - (iii) no child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
 - (iv) every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 22;
 - (v) inclusion of students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
 - (vi) the teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided further that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years;
 - (vii) the teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act; and
 - (viii) the teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.
8. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by academic authority.
9. The school shall enrol students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in section 19.
10. The school shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
 - (i) Area of school campus total built up area
 - (ii) Area of play ground
 - (iii) Number of class rooms
 - (iv) Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storerroom
 - (v) Separate toilet for boys and girls
 - (vi) Drinking Water Facility
 - (vii) Kitchen for cooking Mid Day Meal
 - (viii) Barrier free Access
 - (ix) Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library.
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.

12. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes education and skill development.
13. The school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the statements of accounts should be sent to the District Elementary Education Officer every year.
15. The recognition Code Number allotted to your school is..... This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.
16. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/District Elementary Education Officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ Local Authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. Renewal of Registration of Society, if any, be ensured.
18. Other conditions as per Annexure III enclosed.

Yours faithfully,

Joint Director (Administration) /
Additional Director (Administration)
O/o Director Elementary Education, Haryana

FORM III
CHILD TRACKING FORM

[See rule 6(5)]

- (a) unique identification code, name, sex, date of birth (including Birth Certificate Number, wherever possible), place of birth;
- (b) parents' or guardians' names, address, occupation;
- (c) pre primary school/anganwadi centre that the child attends (up to age 5),
- (d) elementary school where the child is/was admitted;
- (e) present address of the child;
- (f) class in which the child is/was studying (for children between the age of five years and above but not having completed the age of fourteen years) ;
- (g) if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause and period of such discontinuance;
- (h) whether the child belongs to the weaker section and disadvantaged group (indicate the category of weaker section and disadvantaged group as defined in rule 29(1)(f));
- (i) details of children requiring special facilities or residential facilities on account of migration and sparse population, age appropriate admission and disability;
- (j) learning achievement (reading/ writing/ comprehension/ competency as per appropriate class/age).

SURINA RAJAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, School Education Department.